

केबल टेलीवज़िन नेटवर्क नयिमों में परिवर्तन

प्रलिस के लयि:

केबल टेलीवज़िन नेटवर्क नयिम, 1994

मेन्स के लयि:

केबल टेलीवज़िन नेटवर्क नयिम, 1994 का प्रावधान

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने केबल टेलीवज़िन नेटवर्क नयिम, 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की, यह नागरिकों की शिकायतों के नविरण के लयि एक वैधानिक तंत्र प्रदान करता है।

- ये शिकायतें केबल टेलीवज़िन नेटवर्क अधनियिम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार टेलीवज़िन चैनलों द्वारा प्रसारति सामग्री से संबंधति हैं।

प्रमुख बडु:

- अधिसूचना के बारे में: यह अधिसूचना केबल टेलीवज़िन नेटवर्क (संशोधन) नयिम, 2021 को जारी करती है।**
 - यह त्रसितरीय शिकायत नविरण तंत्र प्रदान करता है - प्रसारकों द्वारा स्व-वनियिमन, प्रसारकों के स्व-वनियिमन नकियों द्वारा स्व-वनियिमन और केंद्र सरकार के स्तर पर एक अंतर-वभिगीय समति द्वारा नरीक्षण।
- केबल टेलीवज़िन नेटवर्क (संशोधन) नयिम, 2021 का महत्त्व:**
 - न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरटि (NBSA) और ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंलेंट्स काउंसलि (BCCC) जैसे वभिनिन स्व-नयिमक नकियों को कानूनी मान्यता मलेंगी।
 - वर्तमान नयिमों के तहत कार्यक्रम/वजिज़ापन संहतिओं के उल्लंघन से संबंधति नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लयि एक अंतर-मंत्रालयी समति के माध्यम से जारी एक संस्थागत तंत्र है।
 - वभिनिन प्रसारकों ने शिकायतों के समाधान के लयि अपना आंतरिक स्व-नयिमक तंत्र भी वकिसति कया है।
 - 900 से अधिक टेलीवज़िन चैनलों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा अनुमति दी गई है।
 - हालया अधिसूचना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रसारकों और उनके स्व-नयिमक नकियों पर जवाबदेही और ज़मिमेदारी डालते हुए शिकायतों के नविरण हेतु एक मज़बूत संस्थागत प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करती है।
 - यह टेलीवज़िन के स्व-नयिमक तंत्र द्वारा OTT कंपनियों और डजिटिल समाचार प्रकाशकों पर भी लागू कया जाएगा, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशा-नरिदेश और डजिटिल मीडया आचार संहति) नयिम, 2021 में परकिलपति है।
- केबल टेलीवज़िन नेटवर्क अधनियिम, 1995:**
 - उद्देश्य:** इस अधनियिम का उद्देश्य केबल नेटवर्क की सामग्री और संचालन को वनियिमति करना है। यह अधनियिम 'केबल टेलीवज़िन नेटवर्क के बेतरतीब वकिस' को नयित्तरति करता है।
 - महत्त्वपूर्ण प्रावधान:**
 - धारा 2:** इस अधनियिम के तहत ज़िला मजसि्ट्रेट, उप-मंडल मजसि्ट्रेट और पुलसि आयुक्त यह सुनश्चति करने के लयि 'अधिकृत अधिकारी' हैं कि कार्यक्रम संहति का उल्लंघन न हो।
 - धारा 3:** कोई भी वयकर्ता केबल टेलीवज़िन नेटवर्क को तब तक संचालति नहीं करेगा जब तक कविह इस अधनियिम के तहत केबल ऑपरेटर के रूप में पंजीकृत न हो।
 - धारा 4ए:** केबल ऑपरेटरों के लयि डजिटिल एडरेसेबल ससि्टम के माध्यम से कसिी भी चैनल के कार्यक्रमों को एन्क्रपिटेड रूप में प्रसारति करना अनविर्य है, जब केंद्र द्वारा उन्हें ऐसा करने के लयि कहा गया हो।
 - धारा 16:** इस अधनियिम के कसिी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय होगा।
 - धारा 19:** अधिकृत अधिकारी के पास जनहति में कुछ कार्यक्रमों के प्रसारण को प्रतबिंधति करने की शक्ति है, यदयिह वभिनिन धार्मिक, नसलीय, भाषायी या कषेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शतरुता, घृणा या द्वेष की भावनाओं को बढावा देता है।
 - धारा 20:** संसद के पास जनहति में केबल टेलीवज़िन नेटवर्क के संचालन को प्रतबिंधति करने की शक्ति है।

स्रोत-इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/changes-in-cable-television-network-rules>

